

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर द्वितीय वाराणसी क्रम संख्या 2022350003867

आवेदन संख्या : 202200996005357

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक 2022-02-11 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम रोशन लाल गुप्ता

लेख का प्रकार विक्रय अनुबंध विलेख

प्रतिफल की धनराशि 0 / 54668000.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 546680

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

546780

शुल्क वसूल करने का दिनांक

2022-02-11 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा

2022-02-11 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Rectified e-stamp certificate is valid only if base e-stamp certificate is attached.

35867

Signature: *Vijay*

ACC Name: Vijay Kumar Singh

ACC Code: -UP 14355904

ACC Ad: Parmanandpur, Varanasi

Mobile No. - 775289601

Licence No. - 441

Distt. - Varanasi

Base Certificate No. : IN-UP21142031483867U
 Rectified Certificate No. : IN-UP21210846208420U
 Certificate Issued Date : 11-Feb-2022 10:45 AM
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14355904/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1435590433075986103358U
 Purchased by : MS ELA INFRASTRUCTURES PVT LTD THROUGH DIR
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : ARAZI NO-182/4,183,184/2, MAUZA-CHANDPUR, PARGANA-DEHAT AMANAT, TEHSIL-SADAR, VARANASI
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : ROSHAN LAL GUPTA AND OTHERS
 Second Party : MS ELA INFRASTRUCTURES PVT LTD THROUGH DIR
 Stamp Duty Paid By : MS ELA INFRASTRUCTURES PVT LTD THROUGH DIR
 Stamp Duty Amount (Rs.) : 38,27,000
 (Thirty Eight Lakh Twenty Seven Thousand only)



यह इ. स्टाम्प प्रमाणपत्र
लेखपत्र सं. 1208/22 में प्रयुक्त
किया गया।

उ० नि० द्वितीय
वाराणसी

Please write or type below this line


Roshan Lal Gupta



Sunita Gupta



Roshan Lal Gupta



Roshan Lal Gupta



उषा राणी



Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अवध किशोर सिंह

Director



QT 0006621263

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature: *Vijay*
ACC Name: - Vijay Kumar Singh
ACC Code: - UP 14355904
A/C Ad: - Parmanandpur Varanasi
Mobile No. - 7752891601
Licence No. - 441
Dist. - Varanasi

Certificate No.	: IN-UP21142031483867U
Certificate Issued Date	: 10-Feb-2022 06:12 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14355904/ VARANASI SADAR/ UP-VNS
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1435590432872076624163U
Purchased by	: MS ELA INFRASTRUCTURES PVT LTD THROUGH DIR
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: ARAZI NO-182/4,183,184/2,MAUZA-CHANDPUR,PARGANA-DEHAT AMANAT,TEHSIL-SADAR,VARANASI
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: ROSHAN LAL GUPTA AND OTHERS
Second Party	: MS ELA INFRASTRUCTURES PVT LTD THROUGH DIR
Stamp Duty Paid By	: MS ELA INFRASTRUCTURES PVT LTD THROUGH DIR
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 38,27,000 (Thirty Eight Lakh Twenty Seven Thousand only)

Rectify Certificate Issuer
Against This Certificate

₹38,27,000




Please write or type below this line

IN-UP21142031483867U


Roshan Lal Gupta



Roshan Lal Gupta उषा शर्मा



Sunita Gupta



Roshan Lal Gupta



Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अपघ किशोर सिंह




Director

QT 0006621260

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shikilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



डेवलपर एग्रीमेंट

रोशन लाल गुप्ता (पैन नं० ACJPG1598C) व गुलजारी लाल गुप्ता (पैन नं० ACJPG1600R) पुत्रगण स्व० विजय कुमार गुप्ता व श्रीमती उषा रानी (पैन नं० ACWPG8568K) पत्नी स्व० विजय कुमार गुप्ता व श्रीमती सुनीता गुप्ता (पैन नं० ACWPG3779L) पत्नी स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता, प्रद्युम्न कुमार गुप्ता (पैन नं० CCBPG5394Q) पुत्र स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता व यशस्वी गुप्ता नाबालिग उम्र लगभग 17 वर्ष पुत्री स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता बजरिये संरक्षिका माता खास श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता सभी निवासीगण मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी। मो० नं०-9838500500


.....प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण।

व

Roshan Lal Gupta

Gulzari Lal Gupta

उषा रानी




Sunita Gupta



Pradyumn Gupta

Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अनघा अशोक सिंह

Director






मेसर्स ईला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कम्पनी जो भारतीय कम्पनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित मकान नम्बर एन-1/66ए-1के, सामनेघाट, लंका, शहर वाराणसी जरिये डायरेक्टर अवध किशोर सिंह पुत्र स्व० रमेश सिंह निवासी मकान नम्बर एन-1/66ए-1के, सामनेघाट, लंका, शहर वाराणसी। मो०नं०-9415222463 फ़ै नं०- AADCE2444C

.....द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता।

विदित हो कि आराजी नम्बर 182/4 रकबा 0.0120 हे० यानि 1305.6 वर्गफीट व आराजी नम्बर 183 रकबा 0.0240 हे० यानि 2611.2 वर्गफीट व आराजी नम्बर 184/2 रकबा 0.0540 हे० यानि 5875.2 वर्गफीट कुल 3 गाटा रकबा 0.0900 हे० यानि 9792 वर्गफीट यानि 910.03 वर्गमीटर जिसमें भूतल पर आर०सी०सी० निर्मित रकबा 100 वर्गफीट 9.29 वर्गमीटर व भूतल पर टीन शेड निर्मित रकबा 5000 वर्गफीट यानि 464.68 वर्गमीटर स्थित मौजा चांदपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी जिसका सम्पूर्ण विवरण इस डेवलपर एग्रीमेंट के अन्त में दिया गया है उक्त सभी आराजियात आपस में एक-दुसरे से सटे हुए हैं के स्वामी व काबिज

अवध किशोर सिंह उपा रानी



Sumita Gupta




Pradyumn Gupta



Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अवध किशोर सिंह

Director



दखिल प्रथम पक्ष हैं। प्रथमपक्ष के अलावा उपरोक्त जायदाद में कोई अन्य व्यक्ति सहमालिक या सहहिस्सेदार नहीं है उपरोक्त भूमि हर प्रकार के भार, चार्ज, क्लेम व विवाद से पूरी तरह से मुक्त है और उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई अर्जन की कार्यवाही न की गयी है और न विचाराधीन है। उपरोक्त प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण अपनी उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार सम्पूर्ण स्वत्व व अधिकार रखते हुए उसको हस्तान्तरित करने हेतु स्वतंत्र हैं।


और विदित हो कि उपरोक्त प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण संयुक्त रूप से अपने उपरोक्त आराजियात पर व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट का निर्माण कर उसे विकसित करने हेतु इच्छुक है, परन्तु निर्माण का अनुभव व पर्याप्त पूंजी न होने के कारण स्वयं उस कार्य को करने में असमर्थ है। अतः प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण ने निर्माण व विकास कार्य करने हेतु विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष से सम्पर्क किया। विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष, जो प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, जिसे ऐसे व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट/काम्पलेक्स के विकास करने एवं निर्माण करने का वृहद अनुभव है तथा तकनीक से भी पूर्णरूप से भिन्न है और वित्तीय रूप से भी सक्षम है एवं व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट के निर्माण करने व विकसित करने में भी सक्षम है।

और विदित हो कि उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण ने विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष से अपनी उपरोक्त भूमि पर विकास करके उस पर व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट निर्मित करने एवं विकास योजना व मानचित्र तैयार कराकर मूर्त रूप देने का प्रस्ताव रखा। विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष की निम्नवर्णित सम्पत्ति का विकास करने व उक्त भूमि पर व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट निर्माण करने हेतु

Ashar Lal Gupta

Gurzar Lal Gupta

उषा। राणी




Sumit Gupta

Pradyum Gupta

Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अवध किशोर सिंह




Director

अपनी सहमति व्यक्त किया साथ ही पक्षगण के मध्य यह भी तय पाया गया है कि भूमि के एवज में प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण को सम्पूर्ण आवासीय निर्मित भाग का 50 प्रतिशत व व्यावसायिक निर्मित भाग का 60 प्रतिशत अंश मय आनुपातिक अविभाज्य भूमि मय कामन सुविधा प्राप्त होगा और विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को उक्त भूमि पर निर्माण व विकास करने के एवज में सम्पूर्ण आवासीय निर्मित भाग का 50 प्रतिशत व व्यावसायिक निर्मित भाग का 40 प्रतिशत अंश मय आनुपातिक अविभाज्य भूमि मय कामन सुविधा प्राप्त होगा और वे अपने अंश का उपयोग व उपभोग व विक्रय अपनी इच्छानुसार अपने लेख व हस्ताक्षर से करने के लिए स्वतंत्र है व रहेगें, जिसे प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण ने भी स्वीकार किया और उभय पक्ष ने आपस में तयशुदा शर्तों को लिपिबद्ध करना तय किया, ताकि भविष्य में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न न हो। अतः उभयपक्षगण अपने-अपने स्वस्थ शारीरिक व मानसिक अवस्था में व बिना किसी प्रलोभन व नाजायज जोर दबाव के यह डेवलपर एग्रीमेन्ट तहरीर कर निम्न शर्तों से आबद्ध होते हैं:-

01. यह कि भू-स्वामीगण/ प्रथम पक्ष ने विकासकर्ता द्वितीय पक्ष को यह विश्वास दिलाया है:-

अ. यह कि उपरोक्त सम्पत्ति जिसका पूर्ण विवरण इस प्रलेख के अंत में दिया गया है, के स्वामी प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण है। उपरोक्त भूमि प्रत्येक प्रकार के भार, चार्ज, नुक्स इत्यादि से पूर्णरूप से मुक्त है और उसके सम्बन्ध में कोई विवाद या वाद किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन नहीं है और न ही उक्त भूमि के सम्बन्ध में कुर्की की कोई नोटिस ही

Arshad Lal Gupta *Gurzarilal Gupta* उषा शर्मा



Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अनघ किशोर सिंह

Director

Sunita Gupta

Pradyum Gupta




जारी हुई है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर इसके विपरीत कोई तथ्य पाया जायेगा तो उसके लिए प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण जिम्मेदार होंगे तथा वह द्वितीय पक्ष को क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए भी जिम्मेदार व पाबन्द होंगे।

- ब. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण के विरुद्ध अथवा उनकी उपरोक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई मांग या भूमि अर्जन सरकारी विभाग/प्राधिकारण द्वारा नहीं की गई हैं। उक्त बातें जो प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण द्वारा बताई गयी हैं, पर विश्वास करते हुए और उसे सही मानते हुए विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को विकसित करने और उस पर व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट बनाने के लिए निम्न शर्तों पर सहमत है और उक्त भूमि पर व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट/काम्पलेक्स बनाने की योजना स्वीकृत होकर विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को मिलने के उपरान्त उस पर निर्माण कार्य व विकास करने का कार्य प्रारम्भ करने तथा इस अनुबन्ध के शर्तों के अनुसार अधिकार पत्र प्राप्त करके उक्त कार्य करने के लिए अपनी सहमति दिया है।
02. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण उक्त भूमि को पूर्ण रूप से रिक्त अवस्था में विकसित करने एवं उस पर व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट का निर्माण करने के लिए विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को उपलब्ध करायेगें।
03. यह कि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूखण्ड पर व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट बनाने की आवश्यक योजना व विवरण प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण की राय से तैयार कराया है तथा विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष वाराणसी विकास प्राधिकारण, वाराणसी या


Pradyumn Gupta *Gulzar Lal Gupta* उषा शर्मा



Sumit Gupta



Pradyumn Gupta




Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.
अनघ किशोर सिंह
Director



अन्य सम्बन्धित विभाग से उसे स्वीकृत करायेगें और उसमें जो खर्च आयेगा, उसे विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अकेले वहन करेगें।

04. यह कि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष मानचित्र व योजना के अनुसार धन की व्यवस्था एवं तकनीक व अन्य उपयुक्त निर्माण एजेन्सी की व्यवस्था करके उपरोक्त विकास निर्माण व उक्त प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होंगें।
05. यह कि विकास एवं निर्माण कार्य में आने वाले समस्त मूल्य या खर्च जिसमें इमारती सामान, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ठेकेदार व सक्षम एजेन्सी इत्यादि के खर्च शामिल है, को विकासकर्ता द्वितीय पक्ष अदा करेंगें व वहन करेगें। यदि मानचित्र व योजना में किसी भी बदलाव की आवश्यकता विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष निर्माण के समय महसूस करता तो विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष को उस सम्बन्ध में बदलाव करने का सम्पूर्ण अधिकार हासिल होगा।
06. यह कि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष ने प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण को यह विश्वास दिलाया है कि वह समस्त निर्माण कार्य योजना व गुणवत्ता के अनुसार सामान का इस्तेमाल करके करेगें।
07. यह कि विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष प्रस्तावित निर्माण आदि का कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा भवन का मानचित्र स्वीकृत व रेरा में पंजीकरण कराने के बाद 60 माह के अंदर कराने का पूर्ण प्रयास करेगा। यदि उक्त निर्माण कार्य किसी दैवीय आपदा या किसी अपरिहार्य स्थिति के कारण निर्धारित समयावधि के अंदर पूर्ण नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में उक्त समय को बढ़ाया जा सकता है, जिसमें उभयपक्ष को कोई उज्र व एतराज न है और न ही आईन्दा होगा।

Roshan Lal Gupta *Gulzar Lal Gupta* उषा रानी



Sumita Gupta

Pradyum Gupta


Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.


उषा/विशेश सिंह

Director






08. यह कि यदि उक्त निर्माण हेतु निश्चित अवधि के दौरान प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण के स्वत्व स्वामित्व या अध्यासन में त्रुटि होने या निर्माण के सम्बन्ध में किसी विभाग या न्यायालय द्वारा रोक लगाया जाता है या निर्माण के दौरान कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटित होती है या दैवीय आपदा या शहर के असाधारण परिस्थितियों में होने, इत्यादि के कारण निर्माण कार्य बाधित होता है तो उक्त अवधि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को प्राप्त निर्माण कार्य के उक्त समयावधि में सम्मिलित नहीं होगी, अपितु उक्त अवधि निश्चित अवधि के अलावा अतिरिक्त अवधि के रूप में विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष को प्राप्त होगी, जिससे विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष समय अनुसार अपना निर्माण करा सके।
09. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण व विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा अपने-अपने अंश के अनुसार विभाजन आपसी सहमति से कर लिया जायेगा, परन्तु समस्त निर्माण कार्य द्वितीय पक्ष/विकासकर्ता गुणवत्ता के अनुसार एक समान रूप से करेंगे।
10. यह कि समस्त आवासीय निर्मित भाग का 50 प्रतिशत व व्यावसायिक निर्मित भाग का 60 प्रतिशत अंश मय आनुपातिक अविभाज्य भूमि मय कामन सुविधा को पाने के अधिकारी प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण होंगे जिसे वे अपनी इच्छानुसार विक्रय करने, बन्धक रखने, विक्रय अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने या किराये पर देने आदि के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी है व रहेंगे और इस भाग का समस्त विक्रय मूल्य या एडवांस या किराया आदि जो भी प्राप्त होगा उसे प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण प्राप्त करेंगे और आवश्यक प्रलेख प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण स्वतंत्र रूप से अपने अंश के बावत्














 Director


अपने अन्तरीति के हक में निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे जिसके लिए विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण को अधिकृत करते हैं, जिससे विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को कोई मतलब नहीं रहेगा।

11. यह कि निर्माण कार्य होने पर समस्त आवासीय निर्मित भाग का 50 प्रतिशत व व्यावसायिक निर्मित भाग का 40 प्रतिशत अंश मय आनुपातिक अविभाज्य भूमि मय कामन सुविधा आदि प्राप्त करने के अधिकारी विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष होंगे और विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने आवासीय निर्मित भाग का 50 प्रतिशत व व्यावसायिक निर्मित भाग का 40 प्रतिशत मय आनुपातिक अविभाज्य भूमि मय कामन सुविधा आदि को अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से विक्रय करने, बन्धक रखने, विक्रय अनुबन्ध करने, अग्रिम धनराशि प्राप्त करने, किराये पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरण करने के लिए स्वतंत्र रूप से अधिकारी है व रहेंगे और इस सम्बन्ध में जो भी विक्रय मूल्य एडवान्स व किराया आदि प्राप्त होगा, उसे विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष प्राप्त करेंगे और आवश्यक प्रलेख विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष स्वतंत्र रूप से अपने भाग के बाबत अपने अन्तरीति के हक में अपने हस्ताक्षर से निष्पादित करने के लिए अधिकृत व स्वतंत्र हैं व रहेंगे जिसके लिए प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण, विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को अधिकृत करते हैं। इसमें प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण व वारिसान व कायम मुकामान प्रथम पक्ष को न कोई आपत्ति है और न भविष्य में होगी।
12. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण, विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को इस अनुबन्ध पत्र में दिये गये शर्तों के तहत निर्माण कार्य हो सके


Rahul Gupta *Gulzar Lal Gupta* उद्या रानी





Sunil Gupta



Pradyumna Gupta




Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.
उद्या रानी
Director



इसलिए अधिकार पत्र द्वारा विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को अधिकृत करते हैं कि वह प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण की जगह इस अनुबन्ध पत्र के तहत विवरण सम्पत्ति पर कार्य करने के लिए जहां-जहां आवश्यकता हो वहां-वहां अपना हस्ताक्षर करें व उसी के अनुसार निर्माण व विकास के कार्य को करें।

13. यह कि विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष अपने प्रस्तावित भवन/काम्प्लेक्स का नाम "शिवाकाशी विजय इनक्लेव" रखेंगे और विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष को बोर्ड आदि लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
14. यह कि विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष निर्माण कार्य हेतु शिल्पकार, इंजीनियर, ठीकेदार श्रमिक को स्वयं नियुक्त करेंगे और निर्माण कार्य के लिए जो भी आवश्यक कदम होगा, उसे उठायेगा तथा सभी भुगतान के लिए विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष ही जिम्मेदार होगा इस सम्बन्ध में प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी।
15. यह कि विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष को यह भी अधिकार होगा कि वह प्रस्तावित भूखण्ड में मौजूदा निर्माण कोई हो तो उसे ध्वस्त करा दे अथवा उसे तोड़कर हटा दे, इसमें प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण पुरा सहयोग करेंगे।
16. यह कि भवन निर्माण से सम्बन्धित कार्यों को करने के सन्दर्भ में विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष, प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण के मुख्तारआम की हैसियत से सम्बन्धित विभागों में जहां-जहां हस्ताक्षर की आवश्यकता हो वहां-वहां अपने हस्ताक्षर से हलफनामा, प्रार्थना पत्र, समझौता पत्र लिखित रूप से तहरीर कर व अन्य किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधिकार का प्रयोग द्वितीय पक्ष द्वारा

Ashar Lal Gupta Gaurav Lal Gupta उषा रानी




Sumita Gupta

Pradyum Gupta

Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.


अवध किशोर सिंह
Director



किया जायेगा। इसमें प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

17. यह कि पक्षगण या उनके नामिनी विकसित फ्लैट/काम्पलेक्स के कामन पैसेज, गैलरी, सीढ़ी या अपने-अपने अंशों के भवन में आने-जाने का रास्ता या भवन के अनिर्मित क्षेत्र का उपयोग संयुक्त रूप से करेंगे कोई भी पक्ष उपरोक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विवाद, निर्माण या अवरोध आदि नहीं करेगा अन्यथा वह बातिल व नाजायज होगा।
18. यह कि मानचित्र स्वीकृत होने के बाद पक्षगण अपना अपना अंश आपसी सहमति के आधार पर चिह्नित कर पूरक अनुबन्ध तहरीर कर लेवेगे व प्रस्तुत अनुबन्ध की शर्तों में किसी प्रकार कोई बदलाव बिना पक्षगण की आपसी लिखित सहमति से सम्भव नहीं होगा। किन्तु पक्षगण आपसी सहयोग व सहमति से पूरक अनुबन्ध के जरिये शर्तों में परिवर्तन व परिवर्द्धन कर सकते हैं, जो मूल अनुबन्ध का अंश माना जायेगा।
19. यह कि योजना पूर्ण हो जाने पर प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण व विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने-अपने अंश का भवनकर, जलकर, सीवरकर, विद्युत बिल या जो भी अन्य कर देय होगा, उसे उक्त अनुपात के अनुसार प्रत्येक पक्ष अथवा उसके द्वारा विक्रीत फ्लैट के खरीदार अदा करने के उत्तरदायी हैं व होंगे। प्रस्तावित व्यावसायिक/आवासीय फ्लैट जब क्रेता द्वारा क्रय कर लिया जायेगा, तब फ्लैट के क्रेतागण द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा तथा सोसाइटी के नियम के तहत कामन सुविधा आदि के रखरखाव का जो खर्च आयेगा उसे क्रेतागण द्वारा वहन किया जायेगा।


Arshad Gul *Gulzar Lal Gupta* उषा शर्मा



Sumita Gupta

Pradyun Gupta

Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.
अनन्दा मिश्रा सिंह
Director



सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिये प्लैट के क्रेतागण बाध्य होंगे।

20. यह कि मौजूदा अनुबन्ध के अनुरूप निर्माण कार्य के बाद किसी प्रकार की दैवीय आपदा आ जाये, जिसके कारण निर्मित क्षेत्र क्षतिग्रस्त हो जाय, तो ऐसी परिस्थिति में क्षतिग्रस्त राशि को पक्षगण अपने-अपने अनुपात में वहन करेंगे।
21. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण ने यह स्वीकार किया है व वचन दिया है कि वह सम्पूर्ण सम्पत्ति पर अपना स्वामित्व सम्पूर्ण कार्ययोजना व निर्माण कार्य विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा कराये जाने तक यथावत रखे अर्थात् उक्त निर्माण की अवधि के दौरान कार्य प्रगति के मध्य अपने मालिकाना हक को किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करेंगे। अपितु अनुबन्ध संविदा की शर्तों का उभयपक्ष अक्षरशः पालन करेंगे एवं उनके न रहने पर उक्त समस्त शर्तों के अनुपालन का दायित्व उभयपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों एवं स्थानापन्नों का रहेगा।
22. यह कि निर्माण कार्य के दौरान इस अनुबन्ध के अस्तित्व में रहने तक किसी पक्ष की आकस्मिक या असामायिक मृत्यु हो जाने की स्थिति में उक्त पक्ष के उत्तराधिकारी तथा स्थानापन्नों पर अनुबन्ध के शर्तों के पालन का दायित्व है व होगा।
23. यह कि निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपनी समस्त निर्माण सामग्री उठाने के अधिकारी है व होंगे। उक्त समस्त सामग्री के स्वत्व, स्वामित्व के अध्यासन से कोई सम्बन्ध प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण का नहीं होगा।


Roshan Lal Gupta & Gurbaz Singh Lal Gupta उद्या रानी



Sunika Gupta



Pradyumn Gupta



Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

उद्योग आशुतोष सिंह

Director




24. यह कि प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण व विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष अपने-अपने हिस्से में आने वाले निर्मित क्षेत्रफल के बाबत सभी प्रकार के इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा आरोपित कोई अन्य टैक्स व समस्त देयों की अदायगी अपने-अपने हिस्से के अनुपात में करेंगे।
25. यह कि यदि विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा निर्माण कार्य कराये जाने के दौरान प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण की तरफ से कोई अन्य दावेदार उत्पन्न होकर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन पैदा कर दे, जिसके कारण विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा कार्य पूर्ण करना सम्भव न हो सके या उस वक्त के काबिज हकदारों को किसी प्रकार की असुविधा हो या काबिज हकदारों से उनका हक निकल जाये, ऐसी परिस्थिति में प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण की जिम्मेदारी होगी कि वह उत्पन्न विवादित मामले की अपने हक में से या तो ले-देकर सुलह समझौता कर विवाद का निस्तारण करे अन्यथा उस वक्त के काबिज होने वाले हकदारों को क्षतिपूर्ति बाजार दर के हिसाब से मय ब्याज के साथ अदा करें, इससे विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष का कोई वास्ता सरोकार न होगा।
26. यह कि इस अनुबन्ध पत्र के शर्तों के सम्बन्ध में प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण व विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में क्षेत्राधिकार दीवानी न्यायालय, वाराणसी का होगा।
27. यह कि मौजूदा अभिलेख पक्षगणों के बीच सामान्य अनुबन्ध के रूप में तहरीर हो रहा है इस अनुबन्ध पत्र के सभी शर्तों की पूरी

Anshul Gupta

Gurzarilal Gupta

उषा शर्मा






Sunil Gupta

Pradyum Gupta

Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

उषा शर्मा सिंह

Director



आवेदन सं०: 202200996005357

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 1207

वर्ष: 2022

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 3827000 बाजारी मूल्य - 54668000 पंजीकरण शुल्क - 546680 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 100 योग : 546780

श्री रोशन लाल गुप्ता,
पुत्र श्री स्व० विजय कुमार गुप्ता
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड चेतगंज, तहसील व जिला
वाराणसी।



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/02/2022 एवं 03:51:37 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

इरफान अहमद (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर द्वितीय

वाराणसी
11/02/2022

लालचन्द ..
निबंधक लिपिक



प्रिंट करें

पाबन्दी उभयपक्षों पर उनके उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों पर लागू व बाध्यकारी होगी।

28. यह कि निम्नवर्णित सम्पत्ति नगर निगम सीमा के बाहर कलेटरी फार्म से दुर्गा बालिका विद्यालय होते हुए क्षेत्राधिकार तक मार्ग पर स्थित है।

29. यह कि निम्नवर्णित सम्पत्ति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की नहीं है। उभयपक्ष भारतीय नागरिक है।

यह कि विवर्णित सम्पत्ति का कुल रकबा 9792 वर्गफीट यानि 910.03 वर्गमीटर है, जिसका मूल्यांकन सरकारी दर 45,000/- रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुबलिग 4,09,51,672/-रुपये होता है, तथा आर0सी0सी0 द्वितीयश्रेणी से निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन मु0 20000/-रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से 9.29 वर्गमीटर का मु0 1,85,873/-रुपये होता है, तथा टीन शेड निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन मु0 4000/-रुपये प्रतिवर्गमीटर की दर से 464.68 वर्गमीटर का मु0 18,58,736/-रुपये होता है, इस प्रकार कुल सरकारी मालियत मु0 42,99,6281/-रुपये होता है, व बाउण्ड्रीवाल मय गेट की अनुमानित कीमत मुबलिग 2,00,000/-रुपये व दो इमारती वृक्ष उम्र 10 वर्ष से कम की मालियत मु0 14,000/-रुपये व एक फलदार वृक्ष उम्र 10 वर्ष से कम की मालियत मु0 5000/-रुपये होता है, इस प्रकार कुल सरकारी मालियत मु0 4,32,15,281/-रुपये होता है, तथा व्यवसायिक गतिविधि का 15 प्रतिशत यानि मु0 64,82,292/-रुपये अतिरिक्त जोड़ने पर कुल मालियत मु0 4,96,97,573/-रुपये होता है, तथा दो तरफ रास्ता होने के

Surinder Singh *Gulzar Lal Gupta* उद्या रानी




Surinder Singh

Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अवध मिश्रा सिंह

Director



आवेदन सं०: 202200996005357

बही सं०: 1


रजिस्ट्रेशन सं०: 1207

वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त


विक्रेता: 1

श्री रोशन लाल गुप्ता, पुत्र श्री स्व० विजय कुमार गुप्ता
निवासी: मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड
चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी।
व्यवसाय: व्यापार




विक्रेता: 2

श्री गुलजारी लाल गुप्ता, पुत्र श्री स्व० विजय कुमार गुप्ता
निवासी: मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड
चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी।
व्यवसाय: व्यापार




विक्रेता: 3

श्रीमती उषा रानी, पत्नी श्री स्व० विजय कुमार गुप्ता
निवासी: मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड
चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी।
व्यवसाय: गृहिणी




विक्रेता: 4

श्रीमती सुनीता गुप्ता, पत्नी श्री स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता
निवासी: मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड
चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी।
व्यवसाय: गृहिणी



विक्रेता: 5

श्री प्रदयुम कुमार गुप्ता, पुत्र श्री स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता
निवासी: मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड
चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी।
व्यवसाय: व्यापार





विक्रेता: 6

कारण 10 प्रतिशत यानि मु0 49,69,757/-रूपये अतिरिक्त जोड़ने पर कुल सरकारी मालियत मु0 5,46,67,330/-रूपये होता है, जिसके पूर्णांक मु0 5,46,68,000/- रूपये जिस पर 7 प्रतिशत की दर से मुबलिंग 38,27,000/-रूपये जरिये ई-स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP21142031483867U दिनांक 10.02.2022 विकासकर्ता/द्वितीयपक्ष द्वारा अदा किया जा रहा है। जिसका संशोधित ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र सं0 IN-UP21210846208420U दिनांक 11.02.2022 है।

उभय पक्षों ने यह अनुबन्ध पत्र अपने स्वस्थ और शारीरिक व मानसिक अवस्था में बिना किसी प्रलोभन या जोर दबाव नाजायज के तहरीर करके उसको अच्छी तरह से पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझ लिया है एवं उसके प्रभावों को अपने ऊपर अच्छी तरह से महसूस कर लिया है और समक्ष गवाहान उभय पक्ष यह डेवलपर एग्रीमेंट तहरीर करके उस पर अपना-अपना हस्ताक्षर बना दिया व निशान अंगुठा लगा दिया है, कि सनद रहे व वक्त जरूरत पर काम आवें।

विवरण सम्पत्ति जो प्रथमपक्ष/भू-स्वामीगण द्वारा विकासकर्ता/द्वितीय पक्ष को विकास एवं निर्माण हेतु दी गई है और जिसके बाबत यह अनुबन्ध पत्र तहरीर किया जा रहा है:-

आराजी नम्बर 182/4 रकबा 0.0120 हे0 यानि 1305.6 वर्गफीट व आराजी नम्बर 183 रकबा 0.0240 हे0 यानि 2611.2 वर्गफीट व आराजी नम्बर 184/2 रकबा 0.0540 हे0 यानि 5875.2 वर्गफीट कुल 3 गाटा रकबा 0.0900 हे0 यानि 9792 वर्गफीट यानि 910.03 वर्गमीटर जिसमें भूतल पर आर0सी0सी0 निर्मित रकबा 100



 Sunil Gupta
 Pradyum Gupta
 Usha Rani
 Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.
 उषा रानी
 Director

श्रीमती यशस्वी गुप्ता नाबालिग के द्वारा सुनीता गुप्ता , पत्नी
श्री स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता

निवासी: मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड
चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी।

व्यवसाय: गृहिणी


क्रेता: 1



श्री मेसर्स ईला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अवध
किशोर सिंह , पुत्र श्री स्व० रमेश सिंह

निवासी: मकान नम्बर एन-1/66ए-1के, सामनेघाट, लंका, शहर
वाराणसी।

व्यवसाय: व्यापार



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान


पहचानकर्ता : 1

श्री संजय केशरी, पुत्र श्री स्व० रामनाथ केशरी

निवासी: के.67/81 ईश्वगंगी, धूपचंडी, नाटी इमली, वाराणसी।

व्यवसाय: व्यापार


पहचानकर्ता : 2



श्री रितेश कुमार सिंह, पुत्र श्री अजय कुमार सिंह

निवासी: ग्राम गंजारी, पोस्ट गंगापुर, वाराणसी।

व्यवसाय: अन्य



ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार
लिए गए हैं।

टिप्पणी :



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

इरफान अहमद (प्रभारी)
उप निबंधक : सदर द्वितीय
वाराणसी

ललिचन्द ...
निबंधक लिपिक


वर्गफीट 9.29 वर्गमीटर व भूतल पर टीन शेड निर्मित रकबा 5000 वर्गफीट यानि 464.68 वर्गमीटर स्थित मौजा चांदपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी, जिसे साथ संलग्न नक्शा में दर्शाया गया है, जिसकी चतुर्दिक सीमाएं निम्नलिखित हैं-

पूरब:- सड़क सरकारी
 पश्चिम:- जमीन श्रीमती सुनिता गुप्ता वगैरह।
 उत्तर:- मकान मुन्ना लाल यादव व इण्टरलाकिंग गली
 दक्षिण:- जमीन उषा रानी वगैरह व मकान आशा सिंह, रमेश वगैरह।


तहरीर तारीख:- 11-02-2022

गवाहान-

- नाम- संजय केशरी
 पिता का नाम- स्व० रामनाथ केशरी
 पूरा पता- के.67/81 ईश्वगंगी, धूपचंडी,
 नाटी इमली, वाराणसी।
 मो०नं०- 8112419449
 पेशा-व्यापार
 हस्ताक्षर- संजय केशरी




Arshu Lal Gupta Gulzar Lal Gupta



उषा रानी



Sumita Gupta



Pradyum Gupta



Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.

अबदा विशेश सिंह

Director



2. नाम- रितेश कुमार सिंह
 पिता का नाम- अजय कुमार सिंह
 पूरा पता- ग्राम गंजारी, पोस्ट गंगापुर, वाराणसी।
 मो०नं०- 7905600074
 पेशा-अन्य
 हस्ताक्षर- Ritesh Kumar Singh



Ritesh Kumar Singh

मसविदाकर्ता-

B. P. S. L. A.
 बी०पी० शर्मा, एडवोकेट,
 कलेक्ट्रेट कोर्ट, वाराणसी


टाइपकर्ता-

S. H.
 ए०के० कम्प्यूटर्स,
 कलेक्ट्रेट कोर्ट, कचहरी
 वाराणसी।


Arshul K Gupta 3 June 2018



Sumit Gupta




Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.
 अवध आशीष सिंह
 Director



उपनिबन्धक कार्यालय, वाराणसी

1. रास्ते की स्थिति- सड़क सरकारी
2. निर्माण की स्थिति- टीन शेड
3. निर्माण की प्रकृति(व्यवसायिक/आवासीय/कृषि)- आवासीय
4. दिशा सूचक-
5. वृक्षों/कुआं/बाउण्डीवाल/गेट आदि की स्थिति-



सम्पत्ति का पोस्टकार्ड साईज का रंगीन फोटोग्राफ



प्रथमपक्ष- रोशन लाल गुप्ता व गुलजारी लाल गुप्ता पुत्रगण स्व० विजय कुमार गुप्ता, व श्रीमती उषा रानी पत्नी स्व० विजय कुमार गुप्ता व श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता, प्रद्युम्न कुमार गुप्ता पुत्र स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता व यशस्वी गुप्ता नाबालिग उम्र लगभग 17 वर्ष पुत्री स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता बजरिये संरक्षिका माता खास श्रीमती सुनीता गुप्ता पत्नी स्व० हेमन्त कुमार गुप्ता सभी निवासीगण मकान नम्बर सी० 30/36-1-के, बड़ी मलदहिया, वार्ड चेतगंज, तहसील व जिला वाराणसी।

द्वितीयपक्ष- मेसर्स ईला इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कम्पनी जो भारतीय कम्पनी अधिनियम-1956 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय स्थित मकान नम्बर एन-1/66ए-1के, सामनेघाट, लंका, शहर वाराणसी जरिये डायरेक्टर अवध किशोर सिंह पुत्र स्व० रमेश सिंह निवासी मकान नम्बर एन-1/66ए-1के, सामनेघाट, लंका, शहर वाराणसी।

सम्पत्ति का विवरण

आराजी नम्बर 182/4 रकबा 0.0120 हे० यानि 1305.6 वर्गफीट व आराजी नम्बर 183 रकबा 0.0240 हे० यानि 2611.2 वर्गफीट व आराजी नम्बर 184/2 रकबा 0.0540 हे० यानि 5875.2 वर्गफीट कुल 3 गाटा रकबा 0.0900 हे० यानि 9792 वर्गफीट यानि 910.03 वर्गमीटर जिसमें भूतल पर आर०सी०सी० निर्मित रकबा 100 वर्गफीट 9.29 वर्गमीटर व भूतल पर टीन शेड निर्मित रकबा 5000 वर्गफीट यानि 464.68 वर्गमीटर स्थित मौजा चांदपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी

चौहद्दी:-

पूरब:- सड़क सरकारी


पश्चिम:- जमीन श्रीमती सुनीता गुप्ता वगैरह।

उत्तर:- मकान मुन्ना लाल यादव व इण्टरलाकिंग गली

दक्षिण:- जमीन उषा रानी वगैरह व मकान आशा सिंह, रमेश वगैरह।

दिनांक:- 11.02.2022

Arshant Lal Gupta *Gulzari Lal Gupta* उषा रानी



Sunita Gupta

Pradyumn Gupta

Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.



अवध किशोर सिंह

Director



नक्शा नजरी

आराजी नम्बर 182/4 रकबा 0.0120 हे० यानि 1305.6 वर्गफीट व.
आराजी नम्बर 183 रकबा 0.0240 हे० यानि 2611.2 वर्गफीट व
आराजी नम्बर 184/2 रकबा 0.0540 हे० यानि 5875.2 वर्गफीट
कुल 3 गाटा रकबा 0.0900 हे० यानि 9792 वर्गफीट यानि 910.03 वर्गमीटर
जिसमें भूतल पर आर०सी०सी० निर्मित रकबा 100 वर्गफीट 9.29 वर्गमीटर
व भूतल पर टीन शेड निर्मित रकबा 5000 वर्गफीट यानि 464.68 वर्गमीटर
स्थित मौजा चांदपुर, परगना देहात अमानत, तहसील सदर, जिला वाराणसी



Robul Gupta Gutsaril Gupta


उषा रानी


Su
Drafted by

AK Computers,
Collectorate Compound
Varanasi

Sumita Gupta



Pradyum Gupta



Ela Infrastructures (Pvt.) Ltd.
अवध किशोर सिंह

Director



आवेदन सं०: 202200996005357

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 12027 के पृष्ठ 211 से 250 तक क्रमांक
1207 पर दिनांक 11/02/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

इरफान अहमद (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर द्वितीय

वाराणसी

11/02/2022